यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड, पुरोला** के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड, पुरोला** के माह 06/2018 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 19/12/2020 से 31/12/2020 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव व श्री एस के गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29/06/2018 से दिनांक 6/07/2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2013 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2018 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पी एम जी एस वाई योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य/अनुरक्षण के कार्य सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला – उत्तरकाशी के अंतर्गत विकास खंड मोरी , पुरोला , नौगाँव है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2017-18		31.25	178.31	172.68	2070.65	1504.24		592.66 (477.66 समर्पित)
2018-19		120.00	231.80	222.08	2676.92	2315.82		481.10 (387.25 समर्पित)
2019-20		93.85	285.48	285.48	3714.08	2968.18		839.75 (671.35 समर्पित)
2020-21 (11/20 तक)		168.40	217.22	217.22	2483.77	1760.13		892.04

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-) अधिक्य (+)
2017-18	पी एम जी एस वाई		1835.04	1412.23	
2018-19	,,		2355.59	2020.81	
2019-20	,,		3313.06	2537.46	
2020-21	,,		2436.73	1584.30	

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "A" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , ग्राम्य विकास।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी एम जी एस वाई उत्तराखंड।

तकनीकी संवर्ग मे:

(3) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) (4) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र,

(5) अधीक्षण अभियंता, मसूरी

(6) अधिशासी अभियंता (7) सहायक अभियंता

(8) कनिष्ठ अभियंता

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई सिचाई खंड, पुरोला को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पी एम जी एस वाई सिचाई खंड, पुरोला की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/2020 एवम 10/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा खरसारी से जीवाणु स्टेज 2 मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में निरीक्षण नहीं किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. फार्म 51: माह 11/2020 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम : शून्य

   भाग द्वितीय :शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2020 के अन्त में।

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम :शून्य

   (ख) सामग्री क्रय :शून्य

   (ग) नगद परिशोधन :शून्य

   (घ) निक्षेप :शून्य

   (ङ) भण्डार :शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1: निर्माण कार्य मे ठेकेदार के बिल से ₹ 113955.00 की जीएसटी की कटौती न किया जाना एवं ₹ 106.04 लाख का परिहार्य व्यय।

IRC:SP:20-2002 के बिन्दु 4.3.3 के अनुसार - Usually marginal/low grade materials can be adopted for construction of sub-base/base courses and for shoulders.
IRC:SP-72-2015 के बिन्दु 5.2.1 के अनुसार- Maximizing the use of locally available materials, suitable and economical designs can be worked out and the most suitable and economical design adopted.

(अ) भारत सरकार के पत्र संख्या- पी0/17024/27/2015-आर0सी0(FEMS-346171) दिनांक-13.04.2017 एवं तदोपरांत ग्राम्य विकास विभाग,उत्तराखंड शासन,देहरादून के पत्रांक-781/पी-1-32 (Phase-XIV/यू0आर0आर0डी0ए0/17 दिनांक- 09.05.2017 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-XIV (Regular PMGSY) के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी में पैकेज सं0- यू0टी0-13-40 के अन्तर्गत लाखामण्डल से भंकोली मोटर मार्ग स्टेज-II के लिए (लम्बाई- 9.145 किमी मोटर मार्ग) कुल ₹ 564.78 लाख (₹ 509.27 लाख निर्माण +55.51 लाख अनुरक्षण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-II) कार्यालय, देहरादून के पत्रांक- 1893/13(84)याता/2017-18 दिनांक-21.09.2017 के द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के लिए कुल ₹ 562.80 लाख (₹ 507.29 लाख निर्माण +55.51 लाख अनुरक्षण) की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु दिनांक- 201.12.2017 को श्री अमित जोशी, चकराता देहरादून के साथ ₹ 526.22लाख (₹ 465.76 लाख निर्माण +60.46 लाख अनुरक्षण) का अनुबंध गठित किया गया था। गठित अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि- 25.12.2017 तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 24.09.2018 थी।

लेखा अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आये:-

1. निर्माण कार्य दिनांक- 31.05.2019 को स्वीकृत समयवृद्धि के साथ पूर्ण किया गया।
2. उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित 6th running Bill जिसे voucher No.-46 दिनांक-04.12.2018 के माध्यम से भुगतान किया गया था तथा भुगतान की जाने वाली धनराशि ₹ 56,97,752.09 पर 2% G.S.T ₹ 1,13,955.04 की कटौती ठेकेदार के बिल से नहीं की गयी थी।
3. उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में मुख्य अभियन्ता (स्तर-II) द्वारा दिनांक- 21.09.2017 को जारी प्राविधिक टिप्पणी के बिन्दु 28 के अनुसार कार्य स्थल की विशिष्टियों के अनुरूप लोकल जी0एस0बी0 की उपलब्धता होने पर उसे वरीयता दी जाये।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण में इकाई द्वारा कुल 5337.80cum जी0एस0बी0 (Well Graded Material) का उपयोग किया गया तथा उसके लिए ₹ 1345/- प्रति cum की दर से ₹ 71,79,341.00 का भुगतान किया गया। यदि इकाई द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु लोकल जी0एस0बी0 का उपयोग किया जाता तो लोकल जी0एस0बी0 का स्थानीय मूल्य ₹ 551.00 होने के कारण उपरोक्त मद पर ₹ 29,41,127.80 (5337.80cum*551) व्यय होता तथा ऐसी स्थिति में ₹ 42,38,214.00 के अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता था।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि:-

1. संभवतः त्रुटिवश ₹ 113955.00 जीएसटी की कटौती न हो सकी। अतः अवशेष जीएसटी की कटौती ठेकेदार के अग्रिम से की जाएगी।
2. मुख्य अभियंता कार्यालय (स्तरII) द्वारा जारी प्राविधिक स्वीकृति मे विशिष्टियों के अनुरूप लोकल जीएसबी उपलब्धता के अनुसार इस्तेमाल करने की वरीयता प्रस्तावित की गई थी। किन्तु कार्य स्थल पर इस प्रकार की लोकल जीएसबी उपलब्ध न होने के कारण wellgraded GSB का इस्तेमाल निर्माण कार्य मे प्रस्तावित किया गया। जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (स्तर II) द्वारा प्राप्त है तथा तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही कार्य संपादित कराकर भुगतान किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि मुख्य अभियंता कार्यालय (स्तर II) द्वारा जारी प्राविधिक स्वीकृति मे ही लोकल जीएसबी उपलब्धता के अनुसार इस्तेमाल करने की बात कही गई थी तथा IRC:SP:20:2002 एवं IRC:SP-72-2015 भी local material उपयोग मे लाये जाने की बात करता है। कार्यस्थल पर लोकल जीएसबी उपलब्ध न होने संबन्धित कोई साक्ष्य संप्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया एवं wellgraded GSB का इस्तेमाल निर्माण कार्य मे किए जाने संबंधी मुख्य अभियंता (स्तर II) की स्वीकृति संप्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। लोकल जीएसबी के स्थान पर well graded GSB का इस्तेमाल करने के कारण इकाई द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य मे ₹ 42.38 लाख का अधिक व्यय किया गया।

(ब) लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मे पैकेज संख्या यू टी -13-27/XIV के अनुसार खरसारी से जीवाणु मोटर मार्ग स्टेज -2 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुई थी इसके बाद ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्र 781/पी1-32(फेज XIV)यू आर आर डी ए /17 दिनांक 9/5/2017 के द्वारा 15.45 किमी लम्बाई मे ₹ 859.22 लाख सड़क निर्माण व ₹ 72.50 लाख अनुरक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी इसके बाद अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 30/8/2017 के द्वारा ₹ 852.17 लाख निर्माण कार्य हेतु व ₹ 72.50 लाख अनुरक्षण हेतु प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुबंध संख्या 26 /CE-यूआरआरडीए/2017-18 का गठन दिनांक 20/12/2017 को किया गया था अनुबंधित लागत ₹ 800.19 लाख निर्माण व 5 साल के अनुरक्षण हेतु ₹ 80.67 लाख निर्धारित की गयी थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 25/12/17 कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 24/12/18 थी। लेखापरीक्षा तिथि तक निर्माण कार्य पर ₹ 854.41 लाख राशि व्यय की गयी थी उपरोक्त मार्ग की तकनीकी स्वीकृति माह 8/2017 मे GSB के लिए well graded सामग्री का प्रावधान किया गया था इसका रेट ₹ 1798.60 प्रति cum था ठेकेदार द्वारा GSB का रेट ₹ 1300 प्रति cum दिया गया था जबकि मार्ग के निर्माण हेतु local सामग्री के द्वारा GSB का प्रावधान किया जाना चाहिए था इस सामग्री का रेट ₹ 558.30 प्रति cum था इस मद मे 8754.58 cum सामग्री का प्रावधान था इसके सापेक्ष 8583.23 cum सामग्री का उपयोग अंतिम देयक के अनुसार किया गया था जो कि रु 1300-558.30= ₹ 741.70 प्रति cum अधिक था अत: ₹ 741.70 X 8583.23 = ₹ 63,66,181 धनराशि का अधिक व्यय भार पड़ा । यदि आई आर सी एवं पी एम जी एस वाई व मुख्य अभियंता के निर्देशों पर विचार किया जाता तो इस राशि की बचत हो सकती थी । इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि कार्य स्थल पर लोकल जी एस बी उपलब्ध न होने के कारण well graded जी एस बी का इस्तेमाल निर्माण कार्य मे प्रस्तावित किया गया था । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि पी एम जी एस वाई के दिशा निर्देशों के बिन्दु 8.5 (i) के

अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय पी आई यू द्वारा आई आर सी के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना था एवं बिन्दु 9.3 (vi) के अनुसार रोड़ी वाली सतह तैयार करते समय किफ़ायती दरो वाली सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। यदि उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाता तो ₹ 63.66 लाख की बचत होनी निश्चित थी ।

अतः निर्माण कार्य मे ठेकेदार के बिल से ₹ 113955.00 की जीएसटी की कटौती न किए जाने एवं ₹106.04 लाख **(**₹ 42.38 लाख+ ₹ 63.66 लाख) धनराशि परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2: ***₹ 1,45,406/- जीएसटी (TDS) की कटौती न किया जाना।***

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 11 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) यह प्राविधानित करता है कि विभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर, बिना किसी विलंब के शासकीय खाते में डाली जाये।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 192/XXVII/एक/398/2006/18 दिनांक 12.10.2018 के निर्देशानुसार 01 अक्टूबर 2018 के बाद 2.5 लाख से अधिक के होने वाले प्रत्येक भुगतान से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 2% जीएसटी (TDS) (1% CGST एवं 1% SGST) की कटौती कर उसे GSTN पोर्टल के माध्यम से बैंक मे जमा किया जाना था।किन्तु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई,सिंचाई खण्ड,पुरोला द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो से संबन्धित निम्न देयकों का भुगतान करते समय 2 प्रतिशत **जीएसटी (TDS) (1% CGST एवं 1% SGST) की कटौती कर, जमा नही किया गया था जबकि** नियमानुसार ठेकेदार के देयकों से 2 प्रतिशत जीएसटी (TDS) ₹ 1,45406/- की कटौती नही की गयी थी। जबकि निम्न देयकों मे ठेकेदार को 12 प्रतिशत जीएसटी का भी भुगतान किया गया था।

क्रम संख्या	अनुबंध संख्या	वाउचर संख्या एवं भुगतान की तिथि	देयक की राशि	कटौती योग्य 2% राशि (₹)
1	44/CE-URRDA/2018-19	वाउचर संख्या 35 दि. 29.10.2018	2038312.00	36398
2	23/CE-URRDA/2017-18	वाउचर संख्या 36 दि. 29.10.2018	2742753.00	48978
3	26/CE-URRDA/2017-18	वाउचर संख्या 37 दि. 31.10.2018	3361693.00	60030
			योग	**145406**

उक्त प्रकरण को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुये अवगत करवाया गया कि संबन्धित ठेकेदारो के आगामी देयकों से उक्त राशि की कटौती की कार्यवाही कर ली जायेगी। खंड के उत्तर से ही स्पष्ट है कि उक्त देयको से ₹1,45,406/- की जीएसटी (टीडीएस) की कटौती नही की गयी।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-3: ₹ 3072.28 लाख स्वीकृत राशि के निर्माण कार्य बिना बीमा कराये प्रारम्भ किया जाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Standard biding document 2015 के अनुसार **Insurance 13.1** The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) Personal injury or death.

13.2 Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date.

13.3 (a) The Contractor at his cost shall also provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the date of completion to the end of Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for personal injury or death which are due to the Contractor's risks:

13.3 (b) Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for approval before the completion date/start date.

13.4 Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Employer.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

उपरोक्त नियमो के अनुपालन मे कार्यो का बीमा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि तक वैध होना आवश्यक है जिससे कि निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का भुगतान शासन को न करना पड़े क्षति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाए । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- निम्नलिखित कार्य निर्माणाधीन है परंतु बीमा नहीं कराया गया था:-

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**व्यय राशि**
1	एन एच से खरादी नागनगाँव के प्रथम किमी मे 54 मी स्पान सेतु का निर्माण ।	274.18	254.90
2	हुंडोली पाणिगाँव से कांताड़ी मोटर मार्ग	382.06	250.60
3	कुसला से कुपड़ा मोटर मार्ग	473.20	203.53
4	उपराडी मोटर मार्ग	281.37	195.93
5	पोटी से खांसी मोटर मार्ग	384.00	370.06
6	मैन्द्रथ से भंकयाड मोटर मार्ग	654.44	358.59
7	नौगाँव किमी 2 से थली मोटर मार्ग स्टेज-I	623.03	174.21
	कुल	**3072.28**	**1807.82**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि भविष्य मे चालू निर्माण कार्यो का बीमा करने की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बीमा विभाग को उपलब्ध होना चाहिए था । यदि ठेकेदार ने नहीं कराया तो विभाग द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती करके बीमा किया जाना चाहिए था ।

अत: ₹ 3072.28 लाख स्वीकृत राशि के निर्माण कार्य का बीमा न कराये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

भाग-II (ब)

प्रस्तर–4: स्वीकृत पदों से अधिक कर्मियों की तैनाती।

कार्यालय की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि कतिपय पदों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिक कार्मिकों की तैनाती की गयी है एवं कुछ ऐसे पद जो स्वीकृत ही नहीं है, पर भी कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	आधिक्य	तैनाती का माध्यम
1	2	3	4	5	6
01.	सहायक अभियंता	04	06	02	नियमित/ संविदा
02.	कनिष्ठ अभियंता	14	17	03	संविदा
03.	अमीन	Nil	01	01	संविदा
04.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	Nil	01	01	उपनल
05.	लेखाकार	Nil	01	01	पी0एम0सी0
06.	क्वान्टिटी सर्वेयर	Nil	02	02	पी0एम0सी0
07.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	Nil	03	03	पी0एम0सी0

उपरोक्त विवरण के अनुसार कार्यालय मे 02 सहायक अभियंता एवं 03 कनिष्ठ अभियंता अधिक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या- 03 से 07 तक के पद स्वीकृत ही नहीं हैं। खंड द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार उपरोक्त तालिका के क्रम सं0- 01 से 04 पर अंकित कार्मिकों के वेतन का भुगतान खंड द्वारा एवं क्रम सं0- 05, 06 एवं 07 पर अंकित कार्मिकों के वेतन का भुगतान यूआरआरडीए द्वारा नामित की गयी संस्था (पी0एम0सी0) के माध्यम से किया जाता है। उपरोक्त के संबंध में इंगित करते हुए,स्वीकृत पदों से अधिक तैनाती के संबंध में प्रश्न किए जाने पर कि किस अतिरिक्त कार्य हेतु किस अधिकारी के आदेश से उक्त तैनाती की गयी है एवं स्वीकृत पदों से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति हेतु शासन से अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त नहीं किए जाने के क्या कारण हैं,खंड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त तैनाती मुख्य अभियंता, यूआरआरडीए/ विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग द्वारा की गयी है। खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी उपरोक्त सभी आपत्तियों को खंड द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः स्वीकृत पदों से अधिक कर्मिकों की तैनाती का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: समय पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के के कारण ₹ 76,668/- का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के नियम10(3) के अनुसार ऐसा कार्मिक जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित *वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।*

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खंड,पुरोला (उत्तरकाशी) में कार्यरत कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री रामेश्वर प्रसाद चमोली,अधिशासी अभियन्ता का वेतनमान, अधीक्षण अभियंता के पद का वेतनमान दिनांक 31.10.2017 से स्तर-12 से स्तर-13 में उच्चिकृत होने के फलस्वरूप,₹123100/- निर्धारित किया गया है एवं वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2018 से अनुमन्य की गयी है। नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि, वेतन उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूर्ण होने पर जनवरी/ जुलाई में ही देय होगी। इस प्रकार जो वार्षिक वेतन वृद्धि श्री चमोली को दिनांक 01.07.2018 से अनुमन्य की जानी चाहिए थी, वह उन्हें 6 माह पहले दिनांक 01.01.2018 से अनुमन्य की गयी है जिसके कारण आगामी वार्षिक वेतन वृद्धियाँ, जो दिनांक 01.07.2019 एवं 01.07.2020 को अनुमन्य की जानी चाहिए थीं,भी समय से पहले क्रमशः 01.01.2019 एवं 01.01.2020 को अनुमन्य की गयी हैं। इस प्रकार समय पूर्व वेतन वृद्धि अनुमन्य किए जाने के कारण श्री चमोली को दिनांक 30.10.2018 से दिनांक 30.11.2020 तक की अवधि में धनराशि ₹76,668/- वेतन व महँगाई भत्ते सहित अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विवरण संलग्न तालिका-। के अनुसार है।

उक्त प्रकरण के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। अत: समय पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण **₹76,668/-** लाख का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
57/2018-19	1,	1,2,3,4,5,6

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड, पुरोला तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

--शून्य

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री रामेश्वर प्रसाद चमोली	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक कोई भी खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध नहीं रहे थे।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, पी एम जी एस वाई, सिचाई खंड, पुरोला को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए एम जी-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन द्वितीय तल, कौलागढ़-284195 को प्रेषित की जाए

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)